

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944-242400

पत्रांक- 2968

/सातवें अनु०/ निवास०/ 2022-23 ०.३

दिनांक- 31-12-22

"निविदा सूचना"

नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2022-23 में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा नगर निगम समाचार कक्ष में साउण्ड प्रूफिंग एवं रिपेरिंग मैनीनैस का कार्य हेतु दिनांक 16-01-2023 को अपराह्न 01:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमत्रित की जाती हैं, प्रात निविदाओं को दिनांक 17-01-2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से निविदा समिति या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म निर्धारित तिथि एवं समय तक अपनी-अपनी सीलबन्द निविदायें कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर में निविदा पेटी में डाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग से दिनांक 02-01-2023 से दिनांक 14-01-2023 तक (राजकीय अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्तक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए रखीकृत/अखीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार अधोहस्तक्षरी में निहित है। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(विशाल मिश्र)

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)

महापौर,
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक- 2968/6

/सातवें अनु०/ निवास०/ 2022-23 ०.३

दिनांक- 31-12-22

प्रतिलिपि- निमानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- घरिष्ठ कोषधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय अधिकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निविदा सूचना को नगर नियम की वेबसाईट के माध्यम से प्रदान प्रसार करना सुनिश्चित करें।
- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र राजीय समाचार पत्र, विज्ञान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 01-01-2023 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(जगेन्द्र सिंह)

प्र० अधिकारी अभियन्ता

नगर निगम रुद्रपुर

ऊधमसिंह नगर।

कार्य का विवरण एवं निविदा शर्त

क्र० सं	कार्य का नाम	आंगण धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि ₹०	निविदा मूल्य+ जी०एस०टी०			कार्य अवधि
				मूल्य	जी०एस०टी०	कुल ₹०	
1	सभागर कक्ष में जाउण्ड प्रूफिंग एवं रिपोर्टिंग मैन्टेनेंस का कार्य।	13.37	26740.00	1500	270	1770.00	04 माह

- निविदा में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति/फर्म को उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कैलिंग कैलिंग व सीलिंग कार्य का अनुबंध होना आवश्यक है तथा निविदा प्रपत्र के साथ उक्त अनुबंध प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न किये गये वाइट अभिलेखों को कूटरचित रूप से (भ्रानक/काट-छाँट कर) प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर धनराशि जब करते हुए वैधानिक कार्यशाही की जायेगी तथा भविष्य हेतु नगर निगम के किसी भी कार्य को करने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जायेगा, जिस हेतु निविदादाता ख्यय उत्तरादायी होंगे।
- निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार की संरक्षण/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन करने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर में निहित है।
- निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से राजकीय अवकाश छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं।
- निविदादाता फर्म/ठेकेदार को नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 14 में पारित प्रस्ताव के क्रम में निविदा प्रपत्रों के साथ नगर निगम रुद्रपुर का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में ₹ 10.00 के गैर न्यायालिक रुपये पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा रिस्ति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं व्यक्ति/फर्म का नाम अकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा की दरे शब्दों व अंकों दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा दशमलव बिन्दु के दो अंकों/स्थान तक ही मान्य होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन०एस०टी०/एफ०डी०आर०, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 100.00 का गैरन्यायिक रुपये पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security निविदादाता द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम दिन भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
- निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल-2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
- सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारंटी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का ग्रतिभूति निष्केप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (हॉमडी) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारंटी प्रतिभूति निष्केप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
- स्वीकृत निविदा का कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किया जायेगा तथा सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण करते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 02 पर

16. कार्य का अनुबन्ध गठित होने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विशिष्टियों के अनुसार एवं विभागीय मानकों के अनुसार तथा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करना होगा तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसके रखरखाव की अवधि 01 वर्ष होगी उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की खरादी आने पर सम्बन्धित ठेकेदार अपने व्यय पर उसे ठीक करेगा। अन्यथा स्थिति में नगर निगम को अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के भुगतान विल से कर ली जायेगी।
17. सफल निविदादाता का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा।
18. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेगी तथा जी.एस.टी.देय होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
19. सफल निविदादाता कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरमत के कार्य के लिए ₹0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनलटी वसूली/भुगतान विल से कटौती की जायेगी। जिसमें सफल निविदादाता की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
20. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
21. अपरिहार्य स्थितियों में सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु निविदादाता को परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य निविदादाता द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वयंप्रेक्ष से बढ़ाने का अधिकार होगा।
22. निविदादाता निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर ले तथा व्यक्ति/फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
23. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान विल से की जायेगी। जिसमें निविदादाता की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
24. धनराशि के अभाव में ठेकेदार को विल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का व्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
25. कार्य संतोषप्रद ढग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
26. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टैंसिंग के साथ-साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पर्याप्त निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- नोट—समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरश: अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।

(गजेन्द्र पाल)

प्र० अधिशासी अभियन्ता

नगर निगम रुद्रपुर

ऊधमसिंह नगर।

(विशाल मिश्र)

नगर आयुक्त

नगर निगम रुद्रपुर

ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)

महापौर

नगर निगम रुद्रपुर

ऊधमसिंह नगर।